

949/59-1-2016

संख्या-845/18-2-2014-12(एसपी0)/2010

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- आयुक्त एवं निदेशक  
उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष  
उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्य पालक अधिकारी।

प. 25, 22 (201) 08

8.33

समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/परिषद/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्थायें, उ० प्र०।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

संज्ञक: दिनांक 30 अक्टूबर, 2014

विषय:- सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेंसी कहा गया है) द्वारा उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, यूपिका, उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गंधी आश्रम तथा उ०प्र० हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ०प्र० निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता।

995/PSK/14  
महोदय,

U.S.

सचिव, उ०प्र०

21/11/14

(हरिश्चन्द्र गुप्ता)  
निजी सचिव, प्रमुख सचिव  
खादी एवं ग्रामोद्योग  
संस्तर प्रदेश शासन

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-155 वी.आई.पी. /18-5-98-59 (एसपी)/92, दिनांक 26 अक्टूबर, 1998 द्वारा 11 (ग्यारह) प्रकार के वस्त्रों का क्रय उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लि० एवं यूपिका से अनिवार्यतः क्रय करने के आदेश कतिपय शर्तों के अधीन दिये गये थे, जो 01 वर्ष के लिए प्रभावी थे। बाद में इस शासनादेश की परिसीमा में उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (हरिश्चन्द्र गुप्ता) द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गंधी आश्रम तथा उ०प्र० निर्यात निगम को भी सम्मिलित किया गया तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली वर्दी को शासनादेश की परिसीमा से बाहर रखते हुए शासनादेश संख्या-3067/18-5-99-59(एसपी)/92, दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 जारी किया गया, जो एक वर्ष के लिए प्रभावी था, तदुपरान्त पुनः इस शासनादेश की अवधि प्रत्येक वर्ष बढ़ायी जाती रही है। अंतिम बार अवधि विस्तार शासनादेश संख्या-1419/18-2-2013-12(एसपी)/2010, दिनांक 01 नवम्बर, 2013 द्वारा जारी किया गया था, जो दिनांक 31-3-2014 तक प्रभावी था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं (क्रेता एजेंसी) द्वारा उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, यूपिका, उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गंधी आश्रम, उ० प्र० हस्तशिल्प विपणन निगम (जिन्हें आगे आपूर्तिकर्ता संस्था कहा गया है) द्वारा उत्पादित 11 प्रकार के वस्त्रों, जिनका उल्लेख संलग्न सूची में किया गया है, को क्रय करने की अवधि, शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 31.3.2015 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के साथ बढ़ाई जाती है :-

(1) आपूर्तिकर्ता संस्थायें जिन वस्तुओं का स्वयं अथवा अपनी संस्था के अधीन पंजीकृत इकाइयों/सोसायटियों के माध्यम से उत्पादन करती हैं, उनका एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन करकर आपूर्ति करेंगी। यदि किन्हीं कारणोंवश उक्त संस्थायें क्रयदेश की सीमा तक अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं अथवा निगम/संस्था आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का उत्पादन नहीं कराती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उक्त वस्तुओं की आपूर्ति किसी अन्य संस्था/उत्पादक से क्रय कर, कर सकती हैं किन्तु इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से सामग्री क्रय प्रक्रिया का पालन करते हुए टेण्डर के माध्यम से दर सुनिश्चित करनी होगी।

महेश कुमार गुप्ता

21/11/14

अनुभाग ऑ. (उ.प्र.)  
खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1  
उ० प्र० शासन

- (2) आपूर्तिकर्ता संस्था उत्पादित या क्रय मूल्य पर (जैसी स्थिति हो) 5 प्रतिशत प्रशासनिक/पर्यवेक्षण चार्ज ले सकेंगी।
- (3) क्रेता संस्था का दायित्व होगा कि वह आपूर्तिकर्ता संस्था को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की पूर्ण एवं स्पष्ट विशिष्टियां समय से उपलब्ध कराये तथा आवश्यकतानुसार ऐसी सामग्री का सैम्पल अनुमोदित करे। क्रेता संस्था आपूर्ति की गयी सामग्री निर्धारित मानक के अनुसार होने एवं मात्रा पूर्ण होने का प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता संस्था को उसके द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेंगी।
- (4) वस्तुओं की दर एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता संस्था का होगा। आपूर्तिकर्ता संस्थायें इस संबंध में अपने यहां प्रदेश स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित करेंगी जिसका यह दायित्व होगा कि सामग्री की दर एवं गुणवत्ता उचित है। नोडल अधिकारी यह प्रमाणपत्र भी क्रेता एजेंसी को देगा कि आपूर्तित वस्तुओं को इससे कम दरों पर किसी संस्था अथवा अन्य स्रोत से क्रय नहीं किया गया है।
- (5) यदि कोई विभाग किन्हीं विशेष/अपरिहार्य कारणों से उक्त क्रय अनिवार्यता से छूट चाहते हैं तो वह अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को प्रस्तुत करेगा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव पर मा० मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त कर तदनुसार छूट प्रदान करेगा।
- (6) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली वर्दी को इस शासनादेश की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।  
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

( महेश कुमार गुप्ता )  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक् निर्देश जारी करें।
- 2- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस आशय से प्रेषित कि कि समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करें।
- 3- प्रमुख सचिव हथकरथा/वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य हथकरथा निगम, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीका, लखनऊ।
- 7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 8- गोपन अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(महेश कुमार गुप्ता)  
प्रमुख सचिव।

उत्पाद/सामग्री का नाम

- (1) सूटिंग एवं शर्टिंग (खाकी, नेवी ब्लू, ग्रे, सफेद आदि सभी रंगों में)।
- (2) काटन बेड दरी (सभी किस्म एवं रंगों में)।
- (3) हक्का बैक/हनी कोम्ब/टेरी टावेल।
- (4) साड़ी एवं धोती।
- (5) बेड-शीट एवं पिलो कवर।
- (6) परदे के कपड़े एवं टेपेस्ट्री (सोफा इत्यादि के प्रयोग हेतु)।
- (7) ऊनी कम्बल(सभी प्रकार के)
- (8) फर्शी दरी।
- (9) ऊनी वर्दी का कपड़ा।
- (10) गाज बैण्डेज क्लाथ।
- (11) दो सूती क्लाथ।

(महेश कुमार गुप्ता)  
प्रमुख सचिव।